न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 45/2014

–: वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला–जोधपुर		1. बाबूसिंह पुत्र उदयसिंह 2. सुमेरसिंह पुत्र उदयसिंह 3. रूपसिंह पुत्र शिवसिंह के का0मु0 3/1. सुकी पत्नी रूपसिंह 3/2. बिहारीलाल पुत्र रूपसिंह 3/3. गवरी देवी पुत्री रूपसिंह 3/4. दुर्गादेवी पुत्री रूपसिंह 4. श्यामसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 5. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनॉकः–22/02/2021

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम आसण्डा के खसरा नं. 91 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 69 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 71 बीघा 14 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पुस्तैनी भूमि है जिसमें वादी का 1/3 बंट व हिस्सा है, हिस्से अनुसार सभी पक्षकारान मौके पर सामलाती भौतिक रूप से काबिज काश्त है। पक्षकारान के परिवार में बढोतरी होने के कारण तथा भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए तथा इच्छा अनुसार अच्छी फसल बोने के उद्देश्य से पक्षकार ने उक्त पुस्तैनी भूमि का बंटवाड़ा कराने का निर्णय किया। वादी द्वारा बंटवाड़ा करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने टालमटोल की, इसलिए वादी के 1/3 बंट व हिस्से की भूमि बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खेत के उतरी दिशा में चलने वाले रास्ते को मद्देनजर बंट व हिस्से में आने वाली भूमि का नाप चौप करवाकर बंटवाड़ा करने हेतु तथा वादी के बंट व हिस्से में आने वाली भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाने हेतु वाद पेश किया है।

प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा एक्स पार्टी किया गया। वादी की ओर से भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया गया। वादी वकील ने विधि अनुसार बंटवाड़ा कर वादी को 1/3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा [illegible] संख्या 01 से 02 के बंट में 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 04 के बंट में 1/3 हि[illegible]खकर [illegible]स्व रेकर्ड में अलग खाता खोलकर बंटवाड़ा किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली में [illegible] का अवलोकन किया तथा [illegible] ग्राम आसण्डा के खसरा नं. 91 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, [illegible] 99 रकबा 69 बीघा कुल ख[illegible] कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

रकबा 71 बीघा 14 बिस्वा भूमिमाफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद बाई मिण्ट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री की जाकर बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुएमाफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के दिनाँक 06.03.2020 को इस आशय की सादिर की गई थी कि राजस्व ग्राम आसण्डा के खसरा नं. 91 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 69 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 71 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, भोपालगढ़ को पत्र क्रमांकः– रीडर/कोर्ट/प्राथमिकडिक्री/पालना/2020/637 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, भोपालगढ़ ने अपने पत्र क्रमांकः– राजस्व/प्राथ.डिक्री/2020/1041 दिनांक 24.11.2020द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी वकील ने माफिक बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील एवं डिक्री की पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा हम माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व ग्रामआसण्डा तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 91 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 69 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 71 बीघा 14 बिस्वा भूमिका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	बाबूसिंह, सुमेरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर नोटः– कमला कंवर, पुष्पा कंवर पुत्रियां उदयसिंह वर्तमान में सहखातेदार है।	91 99	0–18 बीघा 23–00 बीघा	बारानी तृतीय बारानी द्वितीय	0.15 10.43	नीला
	योग	02	23–18 बीघा		10.58	
2	भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर	91 99	01–16 बीघा 22–02 बीघा	बारानी तृतीय बारानी द्वितीय	0.66 9.90	पीला
	योग	02	23–18 बीघा		10.56	
3	श्यामसिंह पुत्र शिवसिंह, सुकी पत्नी रूपसिंह, बिहारीलाल पुत्र रूपसिंह, गवरी देवी पुत्री रूपसिंह, दुर्गादेवी पुत्री रूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर	99	23–18 बीघा	बारानी द्वितीय	10.72	हरा
	योग	02	23–18 बीघा		10.72	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक **22/02/2021** को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

बईजलास :–श्रीजवाहर राम चौधरी,आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

वादी :–

1. भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

प्रतिवादीगण :–

1. बाबूसिंह पुत्र उदयसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र उदयसिंह
3. रूपसिंह पुत्र शिवसिंह के का0मु0
   - 3/1. सुकी पत्नी रूपसिंह
   - 3/2. बिहारीलाल पुत्र रूपसिंह
   - 3/3. गवरी देवी पुत्री रूपसिंह
   - 3/4. दुर्गादेवी पुत्री रूपसिंह
4. श्यामसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
5. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 45/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्वग्रामआसण्डा तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 91 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 69 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 71 बीघा 14 बिस्वा भूमिका बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1	बाबूसिंह, सुमेरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर नोटः– कमला कंवर, पुष्पा कंवर पुत्रियां उदयसिंह वर्तमान में सहखातेदार है।	91 99	0–18 बीघा 23–00 बीघा	बारानी तृतीय बारानी द्वितीय	0.15 10.43	नीला
	योग	02	23–18 बीघा		10.58	
2	भंवरसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर	91 99	01–16 बीघा 22–02	बारानी तृतीय बारानी द्वितीय	0.66 9.90	पीला
	योग	02	23–18 बीघा		10.56	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

3	श्यामसिंह पुत्र शिवसिंह, सुकी पत्नी रूपसिंह, बिहारीलाल पुत्र रूपसिंह, गवरी देवी पुत्री रूपसिंह, दुर्गादेवी पुत्री रूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ढंढोरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर	99	23–18 बीघा	बारानी द्वितीय	10.72	हरा
	योग	02	23–18 बीघा		10.72	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुवलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner